

**पर्यटन मंत्रालय**  
**मांग संख्या 93**  
**पर्यटन मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	439.00	47.00	486.00	439.00	50.53	489.53	994.00	70.00	1064.00
पूंजी	561.00	...	561.00	561.00	...	561.00	6.00	...	6.00
जोड़	<b>1000.00</b>	<b>47.00</b>	<b>1047.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>50.53</b>	<b>1050.53</b>	<b>1000.00</b>	<b>70.00</b>	<b>1070.00</b>
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं पर्यटन	3451	...	3.45	3.45	...	3.74	3.74	...	5.50
2. महानिदेशक, पर्यटन-निदेशन तथा प्रशासन	3452	25.00	39.64	64.64	25.00	43.43	68.43	14.00	50.00
3. पर्यटक सूचना और प्रचार	3452	65.00	0.20	65.20	65.00	0.18	65.18	54.00	0.20
3.01 घरेलू अभियान	3452	220.00	...	220.00	220.00	...	220.00	250.00	...
3.02 विदेशी अभियान	जोड़	285.00	0.20	285.20	285.00	0.18	285.18	304.00	0.20
4. पर्यटक अवसंरचना	3452	...	...	...	...	...	...	125.00	...
3601	...	...	...	...	...	...	306.00	...	306.00
3602	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00
5452	472.00	...	472.00	472.00	...	472.00	6.00	...	6.00
जोड़	472.00	...	472.00	472.00	...	472.00	457.00	...	457.00
5. प्रशिक्षण	3452	71.00	0.80	71.80	71.00	0.72	71.72	103.00	10.80
3601	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
जोड़	71.00	0.80	71.80	71.00	0.72	71.72	106.00	10.80	116.80
6. अन्य व्यय	3452	47.00	2.41	49.41	47.00	2.01	49.01	19.00	3.00
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	100.00	...
4552	89.00	...	89.00	89.00	...	89.00	...	...	...
जोड़	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
9. विविध सामान्य सेवाएं- विनिमय द्वारा हानि जोड़-पर्यटन कुल जोड़	2075	...	0.50	0.50	...	0.45	0.45	...	0.50
जोड़-पर्यटन कुल जोड़	<b>1000.00</b>	<b>43.55</b>	<b>1043.55</b>	<b>1000.00</b>	<b>46.79</b>	<b>1046.79</b>	<b>1000.00</b>	<b>64.50</b>	<b>1064.50</b>
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं-पर्यटन	13452	900.00	...	900.00	900.00	...	900.00	900.00	...
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र जोड़	22552	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...
जोड़	<b>1000.00</b>	<b>...</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>...</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>...</b>	<b>1000.00</b>

1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं: इसमें पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है।

2. निदेशन एवं प्रशासन: यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा फील्ड कार्यालयों पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है। उनकी मुख्य गतिविधियां पर्यटन संबंधी सूचना का प्रसार करना, पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, यात्रा उद्योग से संबद्ध विभिन्न खंडों जैसे होटलों, ट्रेवल एजेंटों, गाइडों आदि का विनियमन करना है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी प्रावधान है।

3. पर्यटन सूचना एवं प्रचार: संवर्धन और विपणन सम्बन्धी कार्य, भारत में और भारत से बाहर स्थित भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। नियमित संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रचार सामग्री का उत्पादन, केन्द्रीकृत और सामान्य विषय आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रचार अभियान नियमित रूप से प्रमुख प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर तथा वेब माध्यमों में चलाए जाते हैं। वर्ष 2000-01 से विपणन विकास सहायता योजना सहित आतिथ्य तथा विशेष अभियान शुरू किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पण्य धारक विदेशों में संवर्धनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए सहायता लेने के पात्र हैं।

4. पर्यटन अवसंरचना: इस प्रावधान का सम्बन्ध बजट होटलों, मार्ग के किनारे पर्यटन सुविधाओं, पर्यटन स्वागत केन्द्रों, स्मारकों की पुनः साफ-सफाई, विशेष पर्यटन परियोजनाओं, साहसी और क्रीड़ा सुविधाओं, साउन्ड व लाइट शो, स्मारकों की दीपसज्जा के निर्माण संबंधी अवसंरचनात्मक

सुविधाओं के सृजन पर किए जाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल-व्यवस्था प्रबन्ध में सुधार, आस-पास के परिवेश का सुधार, नामपट्ट सुधार, पर्यटन से प्रत्यक्षतः सम्बद्ध उपस्करों की अधिप्राप्ति तथा ग्रामीण परियोजनाओं आदि के लिए व्यय की व्यवस्था है। यह प्रावधान अत्यधिक राजस्व सर्जक परियोजनाओं, पर्यटन रेलगाड़ियों, समुद्री पर्यटन जलयानों, कनवेंन्शन केन्द्र, गोल्फ के मैदानों आदि के जरिए फीस या प्रयोगकर्ता प्रभारों को उद्गृहित करके राजस्व संग्रहण तथा सरकारी-निजी भागीदारी से भूमि खरीदकर तथा होटल का निर्माण करके देश में होटल आवास प्रदान करने हेतु होटलों के वास्ते भूमि बैंक के सृजन से संबंधित है। इस प्रावधान में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (यूएनडीपी की अन्तर्गत पर्यटन परियोजनाओं सहित), पर्यटन के अवसंरचनात्मक विकास के लिए और गुलमर्ग में भारतीय स्कीईंग तथा पर्वतारोहण संस्थान के भवन निर्माण के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता शामिल है।

5. प्रशिक्षण: देश में पर्यटन के विकास के लिए, प्रशिक्षित जन शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। इस समय, 35 होटल प्रबन्ध संस्थान (जिनमें 7 निजी क्षेत्र के हैं) और 6 खाद्य व्यंजनकला संस्थान हैं, जो राष्ट्रीय होटल प्रबन्ध और खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थान के पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं। इनके अलावा, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान तथा राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान पर्यटन में जनशक्ति विकास में लगे अन्य निकाय हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटक रुचि के स्थानों, हवाई अड्डों आदि पर तैनात गाइडों, सरकारी कर्मचारियों आदि सहित नए और मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए विभिन्न अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

6. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान होटलों के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम तौर पर दिए गए ऋणों पर विनिर्दिष्ट ब्याज सब्सिडी तथा पूंजी सब्सिडी के भुगतान के लिए और होटलों के निर्माण, बाजार अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को योगदान के लिए निवेश सब्सिडी तथा भारत सरकार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में दिए गए विनिवेश के संबंध में पश्च समापन समायोजन के भुगतानों के लिए की गई व्यवस्था भी शामिल है।

7. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त व्यवस्था:** पूर्वोत्तर में विविध प्रकार के पर्यटन की उपलब्धता होने से इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास की अत्यधिक गुंजाइश है।

8. **विविध सामान्य सेवाएं:** इसमें विदेश स्थित भारत सरकार के पर्यटक कार्यालयों के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय के कारण होने वाली हानि के भुगतान के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।